



भारतीय उच्च न्यायालयों में ज़मानत अपीलों में वृद्धि

प्रलिस के लिये:

भारतीय उच्च न्यायालयों में ज़मानत अपीलों में वृद्धि, उच्च न्यायालय डैशबोर्ड, दक्ष (DAKSH), [महामारी रोग अधिनियम, 1897](#), [दंड प्रक्रिया संहिता \(CrPC\), 1973](#)

मेन्स के लिये:

भारतीय उच्च न्यायालयों में ज़मानत अपीलों में वृद्धि, ज़मानत अपीलें

चर्चा में क्यों?

कानून और न्याय प्रणाली सुधारों पर केंद्रित थकि-टैक DAKSH के 'हाई कोर्ट डैशबोर्ड' के अनुसार, भारत के उच्च न्यायालयों में दायर ज़मानत अपीलों की संख्या में वर्ष 2020 के बाद वृद्धि हुई है।

- DAKSH ने 15 उच्च न्यायालयों में वर्ष 2010 से वर्ष 2021 के बीच दायर 9,27,896 ज़मानत मामलों का विश्लेषण किया। इन न्यायालयों ने ज़मानत मामलों के लिये अलग-अलग नामकरण पैटर्न का पालन किया। डेटा के विश्लेषण से उच्च न्यायालयों में ज़मानत से जुड़े 81 प्रकार के मामले सामने आए हैं।




Chart 1: The chart shows the number of fresh and pending bail appeals in High Courts over time




Chart 2: Bail applications filed in High courts as a share of their total caseload between July 2021 and June 2022 (in percentage)




Chart 3: The chart shows the median days taken for the disposal of regular bail cases in various High Courts





Chart 4: The chart shows the share of cases in which bail was granted/rejected and where the outcome was not given/was unclear (in percentage)



//

ज़मानत अपीलों से संबंधित आँकड़े:

- **ज़मानत अपीलों में वृद्धि:**
 - वर्ष 2020 से पहले ज़मानत अपीलों लगभग 3.2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख सालाना हो गई, उसके बाद जुलाई 2021 से जून 2022 तक 4 लाख से 4.3 लाख हो गई।
 - परणामस्वरूप उच्च न्यायालयों में लंबित ज़मानत अपीलों की संख्या लगभग 50,000-65,000 से बढ़कर 1.25 लाख से 1.3 लाख के बीच हो गई है।
- **उच्च न्यायालय और मामलों का वितरण:**
 - **वभिन्न उच्च न्यायालयों** में मामलों का वितरण अलग-अलग था। कुछ राज्यों जैसे कपिटना, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जुलाई 2021 और जून 2022 के बीच कुल मामलों में ज़मानत अपीलों की हस्सेदारी 30% से अधिक थी।
- **नपिटान का समय और परणाम अनश्चितता:**
 - नयिमति ज़मानत आवेदनों के नपिटान में लगने वाला औसत समय वभिन्न उच्च न्यायालयों में भिन्न है। कुछ उच्च न्यायालयों में नपिटान का समय काफी अधिक था, जिससे समाधान प्रक्रिया में देरी देखी गई।
 - ज़मानत के मामलों पर नरिणय लेने में देरी को ज़मानत को अस्वीकार करने के समान माना जाता है, क्योंकि इस अवधि के दौरान आरोपी जेल में रहता है।

■ अपूर्ण परणाम डेटा:

- डेटा ने उच्च न्यायालयों में जमानत अपीलों के परणामों के संबंध में स्पष्टता की कमी को भी उजागर किया। सभी उच्च न्यायालयों में नपिटाए गए लगभग 80% जमानत मामलों में, चाहे वह मंजूर हुई हो या खारज़ हो गई हो, अपील का परणाम अस्पष्ट या गायब था।

जमानत अपीलों में वृद्धि का कारण:

■ कोविड उल्लंघन और न्यायालय के कामकाज़ में व्यवधान:

- महामारी के दौरान कोविड-19 लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान न्यायालयी कामकाज़ में व्यवधान के कारण लंबित जमानत मामलों का इस वृद्धि में योगदान हो सकता है।
 - हालाँकि न्यायालय के डेटा से निश्चिती रूप से सटीक कारण का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

■ महामारी रोग अधिनियम, एक कारक के रूप में:

- जमानत अपीलों की वृद्धि में **महामारी रोग अधिनियम, 1897** की भूमिका मानी जा सकती है। 77% नियमि जमानत मामले ऐसे हैं जिनके वषिय में वशिष्ट अधिनियम में उल्लेख नहीं है जिसके तहत अपीलकर्ता को कैद किया गया था, शेष 23% मामले, जिनमें वभिन्न अधिनियमों के तहत जमानत की मांग की गई उसमें **महामारी रोग अधिनियम चौथे स्थान** पर है।
- यह इस अधिनियम के तहत मामलों में संभावित वृद्धि का संकेत देता है, जिससे जमानत अपीलों में वृद्धि हो सकती है।

जमानत और इसके प्रकार:

■ परभाषा:

- जमानत कानूनी हरिसत के तहत रखे गए (उन मामलों में जनि पर न्यायालय द्वारा अभी फैसला सुनाया जाना है) व्यक्ती की सशरत/अनंतमि रहिाई है, जो आवश्यकता पडने पर न्यायालय में उपस्थति होने का वादा करता है।
- यह रहिाई के लिये न्यायालय के समक्ष जमा की गई सुरक्षा/संपार्शवकि का प्रतीक है।
 - अधीक्षक और कानूनी मामलों के परामर्शदाता बनाम अमयि कुमार रॉय चौधरी (1973) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत देने के पीछे के सिद्धांत को समझाया है।

■ भारत में जमानत के प्रकार:

- **नयिमति जमानत:** यह न्यायालय (देश के भीतर किसी भी न्यायालय) द्वारा दिया गया एक नरिदेश है जो पहले से ही गरिफ्तार और पुलसि हरिसत में रखे गए व्यक्ती को रहिा करने हेतु उपलब्ध है। ऐसी जमानत के लिये व्यक्ती **CrPC, 1973** की धारा 437 तथा 439 के तहत आवेदन दाखलि कर सकता है।
- **अंतरमि जमानत:** नयिमति अथवा अग्रमि जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित होने की स्थिति में यह जमानत न्यायालय द्वारा **अस्थायी और अल्प अवधि हेतु** दी जाती है।
- **अग्रमि जमानत या पूर्व-गरिफ्तारी जमानत:** यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्ती को गरिफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438** में भारत में पूर्व-गरिफ्तारी जमानत का प्रावधान किया गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है।
 - अग्रमि जमानत का प्रावधान **वविकाधीन** है तथा न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर वचिर करने के बाद जमानत दे सकता है।
 - न्यायालय जमानत देते समय कुछ शरतें भी लगा सकता है, जिसमें पासपोर्ट ज़ब्त करना, देश छोड़ने पर प्रतबिंध या पुलसि स्टेशन में नयिमति रूप से रपिरट करना आदि शामिल हैं।
- **वैधानकि जमानत:** वैधानकि जमानत, जिसि **डफिल्ट जमानत** के रूप में भी जाना जाता है, CrPC की धारा 437, 438 और 439 के तहत सामान्य प्रक्रिया से प्राप्त जमानत से अलग है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैधानकि जमानत तब दी जाती है जब पुलसि अथवा जाँच एजेंसी नरिदषिट समय-सीमा के भीतर अपनी रपिरट/शकियायत दर्ज करने वफिल हो जाती है।

नोट: भारतीय संवधान का अनुच्छेद 21 सभी को जीवन और व्यक्तीगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह मानवीय गरमि तथा व्यक्तीगत स्वतंत्रता के साथ जीने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह हमें किसी भी कानून प्रवर्तन इकाई द्वारा हरिसत में लिये जाने पर जमानत प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

स्रोत: द हद्रि